रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 4, 2018/भाद्र 13, 1940
No. 332] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 4, 2018/BHADRA 13, 1940

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2018

सं. एन-11011/15/2018-रा.प्र.स.का (सीपीडी).—राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के उत्तर-पूर्व के पांच राज्यों, नामत: अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर तथा सिक्किम में सरकार द्वारा, सुव्यवस्थित, समयबद्ध और मितव्ययी तरीके से सर्वेक्षण करने के विषय पर वर्ष 2007 के दौरान विचार किया गया था। तदनुसार, प्रत्येक राज्य के लिये दिनांक 01.08.2007 की अधिसूचना **सं. ओ-120011/1/2004-प्रशा.III** द्वारा एक मॉनेटरिंग समिति गठित की गई थी।

2. मॉनेटरिंग समिति का अधिदेश केवल राशि के प्रवाह की समीक्षा करना ही नहीं है अपितु उत्तर पूर्व क्षेत्र में इसके समग्र प्रभाव एवं एनएसएस के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना भी है। इस व्यापक सम्भावना और पहले की अधिसूचना के अधिक्रमण में मॉनेटरिंग समिति का पुनगर्ठन निम्नप्रकार किया गया है:

(1)	अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय(क्षेत्र संकार्य प्रभाग) अंचल कार्यालय, गुवाहाटी	अध्यक्ष
(2)	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय(सीपीडी), नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
(3)	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय(डीपीडी),कोलकाता का प्रतिनिधि	सदस्य
(4)	निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम,सिक्किम और त्रिपुरा|	सदस्य
(5)	उत्तर पूर्व राज्यों के राजधानियो में अवस्थित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय(क्षेत्र संकार्य प्रभाग) के उपमहानिदेशक	सदस्य

(6)	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय(क्षेत्र संकार्य प्रभाग), आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी के निदेशक/संयुक्त निदेशक	सदस्य सचिव

3. मॉनेटरिंग समिति के लिये विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:

क. सर्वेक्षण कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग की समीक्षा करना;

ख. सर्वेक्षण की अपेक्षाओं के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान की और संस्वीकृति की जरुरत का मूल्यांकन करना।

ग. सर्वेक्षण की क्रियाकलापों के लिये कार्य योजना तैयार करना।

घ. सर्वेक्षण कार्य प्रभावी ढंग से करने के लिये प्रशिक्षण तथा ढांचे की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना।

च. सर्वेक्षण कार्य की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना तथा उपचारी कदम उठाना।

छ. गुणवत्तापूर्ण क्षेत्र निरीक्षण और सर्वेक्षण आंकडों की गुणवत्ता से संवीक्षा की योजना बनाना।

ज. सर्वेक्षण कार्य, समंक विधायन और सारणीकरण के लिये कर्मचारियों की तैनाती और राज्य प्रतिदर्श आंकडों के प्रसार की योजना बनाना।

झ. समय- समय पर व्यय के प्रवाह की समीक्षा करना।

4. समिति से अपेक्षा है कि प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक आयोजित कर केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर स्थिति रिपोर्ट तथा सिफारिशों को प्रस्तुत करे।

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/210/18]

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2018

No. N-11011/15/2018-NSSO(CPD).— The issue of conducting surveys of National Sample Survey Organisation in the five North-Eastern States namely, Arunachal Pradesh, Tripura, Mizoram, Manipur and Sikkim in a more systematic, time bound and economical way had been considered by the Government some time during 2007. Accordingly, a Monitoring Committee for each of the States had been constituted vide a notification **No. O-120011/1/2004-Admn.III.** dated 01.08.2007

2. The mandate of Monitoring Committee is not only to review the funds flow but also assess the overall impact and execution of NSS work in NE Region. With this wider prospective and in supersession of earlier notification, the Monitoring Committee is re-constituted as under:

(1)	Additional Director General, National Sample Survey Office (Field Operation Division), Zonal Office, Guwahati	Chairman
(2)	Representative of NSSO(CPD), New Delhi	Member
(3)	Representative of NSSO(DPD), Kolkata	Member
(4)	Director, Directorate of Economics & Statistics Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Sikkim and Tripura.	Member
(5)	Concerned state capital DDGs, of Regional Offices of NSSO (FOD) of NE states	Member
(6)	Director/Jt. Director of the NSSO (FOD), Zonal Office, Guwahati.	Member Secretary

3. The broad terms of references of Monitoring Committee are as under:

a. Reviewing the utilization of grants-in-aid received from Central government for survey work;

b. Assessing the requirement of further sanction of grants-in-aid by the Central Government with reference to the survey requirements;

c. Preparing action plan for surveys activities;

d. Assessing training and infrastructure needs for carrying out survey work in an effective manner;

e. Reviewing progress of surveys work periodically and taking remedial steps;

f. Planning quality field inspections and quality scrutiny of survey data;

g. Planning deployment of resources for survey work, data processing and tabulation; and dissemination of state sample data.

h. Monitoring the flow of expenditure periodically;

4. The Committee is expected to meet at least once in a quarter and submit status report and recommendations to the Central Government from time to time.

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

[Adv.-III/4/Exty./210/18]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.09.05 16:30:47 +05'30'